

:- आदेश :-

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन । एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है । उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है । दुरस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है । अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने प्रार्थिगण ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है । 3. निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

| पूर्व इन्द्राज | | | | | स्वीकृत किया गया इन्द्राज | | |
|----------------|-------------|----------------|-------------|------|---------------------------|-------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ग्राम का नाम | खाता संख्या | खातेदार का नाम | खसरा संख्या | रकबा | खातेदार का नाम | खसरा संख्या | रकबा |
| श्रीरपुरा | 63 | आलाम प्रसाद | 152 | 0.13 | आलाम प्रसाद | 152 | 0.13 |
| | | शालाराम | 153 | 0.00 | शालाराम | 153 | 0.00 |
| | | श्रीराम प्रसाद | 155 | 4.6 | श्रीराम प्रसाद | 155 | 4.6 |

क्रमांक :-

853
11-11-21

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. उप तहसीलदार, मौलासर

क्रमांक :-

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. पटवार हल्का..... को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णयानुसार पालना सुनिश्चित करें।

शिबिर प्रभारी
शिबिर प्रभारी
(अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना)
POKSA-2021, प.स. मौलासर
दिनांक :-

शिबिर प्रभारी
(अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना)
दिनांक :-

उप तहसीलदार, मौलासर